न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर0ए0एस)

प्रकरण संख्या– 83/2023

जीसीएमएस– 2023/206

दायर दिनांक– 23.06.2023

निर्णय दिनांक– 22.02.2024

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थी
1. पूरन पुत्र जिम्बू जाति मीना निवासी गांवडी तहसील श्रीमहावीरजी		1. सुशील पुत्र श्यामलाल जाति जाटव निवासी आजाद नगर गावंडी तहसील श्रीमहावीरजी

प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–1.श्री पी. एल. गोयल,अधिवक्ता प्रार्थीगण।

2.श्री मुरारी लाल करसोलिया अधिवक्ता,अप्रार्थी।

–::निर्णय::–

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर प्रार्थना–पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि प्रार्थी ने अप्रार्थी के विरूद्ध उक्त उनवानी दावा न्यायालय हाजा में मजबूत आधारों पर पेश कर दिया है, जिसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की पूरी–पूरी उम्मीद है। प्रार्थना–पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 153, 313 ता 320, 466 कुल किता 10 कुल रकबा 1.66 है0 स्थित ग्राम गांवडी तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली है, जो कि प्रार्थी एवं उसके खास भाई गिलारी हि0 1/2, 1/2 की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है।प्रार्थना–पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 466 रकबा 0.27 है0 स्थित ग्राम गांवडी तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली है, जो प्रार्थी एवं उसके खास भाई की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है, जिस पर प्रार्थी व उसका भाई काबिज व दखील होकर उसका उपयोग, उपभोग करते चले आ रहे हैं, जिससे अप्रार्थी या अन्य किसी व्यक्ति का कोई वास्ता किसी प्रकार का नहीं है।

प्रार्थना–पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि अप्रार्थी गांव का बदमाश व लड़ाकू किस्म का व्यक्ति है, जिसने गॉव में एक नाजायज गिरोह बना रखा है, जो गरीब व कमजोर लोगों की भूमि पर जबरन कब्जा करने के प्रयास में रहते हैं तथा उसकी नीयत हमेशा ही प्रार्थी की भूमि आराजी मुतजिका मद नं03 प्रार्थना–पत्र को हडपने की रही है और

22/2/24

इसलिए वह आए दिन प्रार्थी को हैरान व परेशान करता रहता है।इस प्रकार प्रार्थी का प्रथम दृष्टया केस बखूबी साबित है।

प्रार्थना–पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि बाका दिनांक 20.06.2023 का है कि प्रार्थी अपनी उपरोक्त आराजी मुतजिका मद नं03 प्रार्थना–पत्र पर आगामी फसल की बुबाई हेतू सूल बबूल कर भूमि की देखभाल कर रहा था कि अप्रार्थी अपने हमराहियों के साथ मौके पर आया और कहा कि ये जमीन आबादी के पास है और हम इसमें निर्माण करेंगे और निर्माण कर उसमें रिहायश करेंगे। इस पर प्रार्थी ने कहा कि उक्त जमीन तो मेरी खातेदारी की है, जिससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है, तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो तो इस पर अप्रार्थी नाराज हो गया और कहा कि आईदा यहॉ पैर मत रखना, इस जमीन पर मैं कब्जा करके रहूँगा और तुम्हें लट्ठ के बल पर बेदखल कर दूंगा। तुमसे बने सो कर लेना, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड सकता, ज्यादा कुछ कहा तो तुम्हें झूंठे मुकदमों में फंसाकर बंद कर दूंगा। प्रार्थी के काफी समझाने पर भी अप्रार्थी मानने को तैयार नहीं हुआ। अगर अप्रार्थी अपने नापाक इरादों में कामयाब हो गया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार संभव नहीं हो सकेगी। इस प्रकार सुविधा का सन्तुलन का बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है।

अतः प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी को इस अमर की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह खसरा नम्बर 466 रकबा 0.27 है0 स्थित ग्राम गांवडी तहसील श्रीमहावीरजी में प्रार्थी के कब्जे व उपयोग उपभोग में कोई मजाहमत मदाखलत ना तो स्वंय पैदा करें और ना ही किसी अन्य से करावें। प्रार्थी को उक्त भूमि से जबरन बेदखल कर लट्ठ के बल पर कब्जा ना तो स्वयं करें और ना ही किसी अन्य से करावें और ना ही उक्त भूमि में किसी प्रकार का निर्माण ना तो स्वंय करें और ना ही अन्य से करावें तथा प्रार्थी को उक्त आराजी को शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग में कोई बाधा नहीं करें तथा ऐसा कोई कृत्य नहीं करें जिससे प्रार्थी के उपरोक्त आराजी में उनके हक, हकूकों में कोई क्षति किसी प्रकार की पहुॅचे, मौके की स्थिति यथावत बनाए रखें।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बाद तामील जरिये अधिवक्ता उपस्थित आया तथा जबाव प्रार्थना–पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना–पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि प्रार्थना–पत्र के मद नं01 में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध एक कतई गलत एवं झूंठा दावा पेश करना स्वीकार है, जिसमें प्रार्थी को हरगिज सफलता का कोई मौका भी नही है। जबाव प्रार्थना–पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि प्रार्थना–पत्र का मद नं02 मुताविक जमाबन्दी स्वीकार है। जबाव प्रार्थना–पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि प्रार्थना–पत्र का मद नं03 आंशिक रूप से स्वीकार है। मद नं03 में यह बात सही है कि खसरा नम्बर 446 रकबा 0.27 है0 वाके ग्राम गांवडी मीना तहसील श्रीमहावीरजी में होना स्वीकार है लेकिन प्रार्थी व उसके खास भाई के कब्जे काश्त की होना

स्वीकार नहीं है और ना ही उस पर प्रार्थी व उसके भाई उक्त भूमि का उपयोग उपभोग करते हैं, प्रार्थी उक्त जमीन को जाटव बस्ती गांवडी मीना के लोगों को रिहायश के लिए काफी साल पहले बेच चुके हैं। उक्त खसरा नम्बर की सम्पूर्ण जमीन पर जाटव बस्ती के लोगों के रिहायशी मकानात बने हुए हैं, उक्त खसरा नम्बर में पक्का रास्ता ग्राम पंचायत गांवडी मीना द्वारा निकाला गया है, प्रार्थी उक्त आराजीयात भूमि की खेती बता रहे हैं जो कि गलत है, उक्त खसरा नम्बर में चिरंजी, बुद्धा, धनमन्ती व अमरपाल की इन्द्रा आवास योजना के तहत मकानात बने हुए हैं। जबाव प्रार्थना–पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि प्रार्थना–पत्र का मद नं04 गलत है, अस्वीकार है। अप्रार्थी बदमाश किस्म का व्यक्ति नहीं है, सरकारी अध्यापक है, ना ही अप्रार्थी का कोई गिरोह है, अप्रार्थी अकेला व्यक्ति है, जबकि प्रार्थी दीगर जाति का व्यक्ति है, प्रार्थी की एक गिरोह बनी हुई है जो कि अप्रार्थी को बेची हुई रिहायशीनुमा प्लाट को जबरन छीनना चाहता है, अप्रार्थी ने कभी भी उक्त आराजीयात भूमि में से रिहायश के लिए हिस्से को प्रार्थी से नहीं छीना, बल्कि करीब 50 साल पहले अप्रार्थी के बाबा ने उक्त आराजीयात भूमि में से रिहायश के लिए कुछ हिस्सा खरीद किया था, जिसमें प्रार्थी का बिजली कनेक्शन, बोर तथा पाटौर पोश मकान, छान बगैरा बने हुए हैं तथा अप्रार्थी मय परिवार के उसमें रिहायश कर रहा है। उक्त आराजीयात भूमि में जाटव बस्ती के सभी लोग रिहायश कर रहे हैं, उनके उक्त आराजीयात भूमि खसरा नम्बर 466 रकबा 0.27 है0 में सभी के बिजली कनेक्शन बोर और पक्के मकानात बने हुए है, उक्त खसरा नम्बर में चारों ओर ग्राम पंचायत द्वारा रास्ते निकाले हुए है, जो कि पक्के हैं।

जबाव प्रार्थना–पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि प्रार्थना–पत्र का मद नं05 गलत है,अस्वीकार है। दिनांक 20.06.2023 को सुबह 10 बजे प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य कोई किसी प्रकार का विवाद नहीं हुआ था। अप्रार्थी सरकारी अध्यापक है, जो दिनांक 20.06.2023 को अपनी ड्यूटी पर था। खसरा नम्बर 466 रकबा 0.27 है0 भूमि में करीब 60–70 लोगों के मकानात बने हुए हैं रास्ते निकल रहे हैं, उक्त आराजीयात भूमि फसल बुवाई लायक नहीं है, प्रार्थी ने उक्त दावा व प्रार्थना–पत्र हाजा झूंठे तथ्यों के आधार पर मनगढन्त कहानी बनाकर के अप्रार्थी से प्रार्थी द्वारा बेची हुई उक्त आराजीयात भूमि को हडपने के लिए उक्त दावा व प्रार्थना–पत्र पेश कर दिये है, जो खारिज किये जाने योग्य हैं। प्रार्थी को कोई अपूरणीय क्षति नहीं है, और ना ही प्रार्थी के पक्ष में सुविधा का सन्तुलन ही साबित है, तथा प्रार्थी का कोई प्रथम दृष्टया मामला साबित नहीं है। प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने योग्य है। जबाव प्रार्थना–पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि प्रार्थना–पत्र में चाही गयी रिलीफ से इंकारी है, प्रार्थी कोई रिलीफ प्राप्त करने का हकदार नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वकील प्रार्थी ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2070–73 पेश की हैं। इसके विपरीत वकील अप्रार्थी ने दस्तावेजी सबूत में मकानों के फोटो 6 किता, फोटो प्रति विधुत बिल के.नं. 211222001819 सुखदेव जाटव अमरचन्द जाटव निवासी गांवडी मीना बिल जारी दिनांक 04.12.2023, फोटो प्रति विधुत बिल के.नं. 211222001848 रमेश चन्द सुखदेव जाटव निवासी गांवडी मीना बिल जारी दिनांक 04.12.2023, फोटो प्रति विधुत बिल के.नं. 211222001608 चिरंजी जाटव अमरचन्द जाटव निवासी गांवडी मीना बिल जारी दिनांक 04.12.2023, फोटो प्रति विधुत बिल के.नं. 211222001633 मूलचन्द जाटव निवासी गांवडी मीना बिल जारी दिनांक 05.04.2019, फोटो प्रति विधुत बिल के.नं. 211222024007 कपूरचन्द जाटव कल्लाराम जाटव निवासी गांवडी मीना बिल जारी दिनांक 01.11.2023, पेश किये हैं।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया है और प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील अप्रार्थी ने जबाव प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया है और प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2070–73 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 466 रकबा 0.27 है0 वाके ग्राम गांवडी तहसील श्रीमहावीरजी की खातेदारी गिलारी पुत्र जिम्बू हि01/2, पूरन पुत्र जिम्बू हि0 1/2 जाति मीना सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। इसके विपरीत वकील अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत में मकानों के फोटो 6 किता पेश किये हैं तथा फोटो प्रति विधुत बिल के.नं. 211222001819 सुखदेव जाटव अमरचन्द जाटव निवासी गांवडी मीना बिल जारी दिनांक 04.12.2023, फोटो प्रति विधुत बिल के.नं. 211222001848 रमेश चन्द सुखदेव जाटव निवासी गांवडी मीना बिल जारी दिनांक 04.12.2023, फोटो प्रति विधुत बिल के.नं. 211222001608 चिरंजी जाटव अमरचन्द जाटव निवासी गांवडी मीना बिल जारी दिनांक 04.12.2023, फोटो प्रति विधुत बिल के.नं. 211222001633 मूलचन्द जाटव निवासी गांवडी मीना बिल जारी दिनांक 05.04.2019, फोटो प्रति विधुत बिल के.नं. 211222024007 कपूरचन्द जाटव कल्लाराम जाटव निवासी गांवडी मीना बिल जारी दिनांक 01.11.2023, पेश किये हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 466 रकबा 0.27 है0 में मौके पर आबादी बनी हुई है।

वकुलान फरीकेन की बहस, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 466 रकबा 0.27 है0 वाके ग्राम गांवडी तहसील श्रीमहावीरजी की खातेदारी गिलारी पुत्र जिम्बू हि01/2, पूरन पुत्र जिम्बू हि0 1/2 जाति मीना सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है किन्तु वकील अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत में मकानों के फोटो 6 किता पेश किये हैं तथा फोटो प्रति

विधुत बिल के.नं. 211222001819 सुखदेव जाटव अमरचन्द जाटव निवासी गांवडी मीना बिल जारी दिनांक 04.12.2023, फोटो प्रति विधुत बिल के.नं. 211222001848 रमेश चन्द सुखदेव जाटव निवासी गांवडी मीना बिल जारी दिनांक 04.12.2023, फोटो प्रति विधुत बिल के.नं. 211222001608 चिरंजी जाटव अमरचन्द जाटव निवासी गांवडी मीना बिल जारी दिनांक 04. 12.2023, फोटो प्रति विधुत बिल के.नं. 211222001633 मूलचन्द जाटव निवासी गांवडी मीना बिल जारी दिनांक 05.04.2019, फोटो प्रति विधुत बिल के.नं. 211222024007 कपूरचन्द जाटव कल्लाराम जाटव निवासी गांवडी मीना बिल जारी दिनांक 01.11.2023, पेश किये हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 466 रकबा 0.27 है0 में मौके पर आबादी बनी हुई है। प्रार्थी ने ऐसा कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है कि जिससे यह साबित हो सके कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 466 रकबा 0.27 है0 के मौके पर प्रार्थी का कब्जा काश्त हो तथा उक्त भूमि वर्तमान में काश्त के काम आ रही हो। जबकि अप्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी सबूतों के आधार पर उक्त भूमि आबादी के उपयोग में आ रही है। पक्षकारान के अधिकार दावे में सुरक्षित हैं। इस प्रकार प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है बल्कि अप्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना कानूनन न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का विरूद्ध अप्रार्थी विवादित आराजी खसरा नम्बर 466 रकबा 0.27 है0 वाके ग्राम गांवडी तहसील श्रीमहावीरजी स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखाराम पिण्डेल)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली